इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी 2011—फाल्गुन 3, शक 1932

गृह (सी–अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

क्र. एफ-35-203-2010-दो-सी.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाए :—

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का, दिनांक 22 फरवरी, 2011 से तीन माह की अवधि के लिए, प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

''नगर पालिक निगम, देवास के अंतर्गत सफाई, जल प्रदाय, परिवहन व स्ट्रीट लाईट सेवाओं में संलग्न समस्त कर्मियों की सेवाएं''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2011

पृ. क्र. एफ-35-203-2010-दो-सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक रंजन, सचिव.

Bhopal, the 22 February 2011

F. No. 35-203-2010-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the Schedule below :—

THEREFORE, in exercise of the powers confeered by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979(No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 22 February, 2011 for a period of three months.

SCHEDULE

"Services of all personnel connected with Cleaning/Sweeping, Water Supply, Electricity & Transport Services under Municipal Corporation, Dewas,".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ALOK RANJAN, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.